सोशल मीडिया:
सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष
Social Media :
Positive and Negative sides

'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking sites) आज के इंटरनेट का अभिन्न अंग हैं। यह विश्व में **एक अरब** से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। या एक ऑनलाइन मंच है। यह उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में **वेबसाइट** पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएं साझा हो जाती हैं। यह प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के **सॉफ्टवेयर** का प्रयोग होता है।

Social Networking Sites are an

integral part of today's internet. It is used by more than **1 billion people** in the world. Or an online platform. This allows the user to create a public profile and interact with other users on the **website**. Profiles are used to share your thoughts, talk to people of identity or strangers. In this entire process, personal information of the user available on the website gets shared. This process is based on information, technology using different type of **software**.

(1) सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष:- (Positive aspects of social media)

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इससे एक नए **बौद्धिक विश्व** का

निर्माण हो रहा है।
सोशल मीडिया विश्व भर के लोगों से जुड़ने का एक उपयोगी साधन है। इसने विश्व में **संचार** को एक नया आयाम प्रदान किया है। यह मुख्यधारा से अलग लोगों की आवाज बन सकता है। सोशल मीडिया द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। सोशल मीडिया व्यवसाय का एक अच्छा साधन भी बन गया है। आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व भर में लोग अधिकार सूचनाएं सोशल मीडिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं।

(Freedom of speech and expression is an important aspect of **democracy**. The opportunities that social media has given us citizens for the use of this right could not be imagined even a decade ago. People can share their thoughts through social media. A new intellectual world is being created with this. Social media is a useful tool to connect with people around the world. It is given a new

dimension to communication in the world. It can become the voice of people different from the the mainstream. Social media has also provided employment opportunities for the youth. Social media has also become a good tool for business. Social media is playing an important role in spreading awareness among common citizens. People worldwide get rights information through social media only.)

(2) सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष:- (Social Media Down Sides)

सकारात्मक पक्ष के साथ-साथ सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष भी है। सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग डिप्रेशन का कारण बनता है। सोशल मीडिया द्वारा साइबर अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है सोशल मीडिया द्वारा साइबर बुलिंग की जाती है। इससे हैकिंग और फिशिंग को बढ़ावा मिलता है। सोशल मीडिया

द्वारा कई बार निजी डेटा चोरी हो जाता है। इसमें गोपनीयता की कमी होती है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके द्वारा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को फँसाया जाता है और उनकी को गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली जाती है।

(There is a positive side as well as a negative side of social media. Excessive use of social media causes depression. Social media promotes Cyber crimes. By this fake news is spread and cyber bullying is done by social media. This promotes hacking and fishing. Many times personal data is stolen by social media. It lacks privacy. Nowadays fraud cases are also being exposed through social media. Through this social media users are trapped and their confidental information is obtained.)

(3) सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की

संख्या:-
(Number of Social Media Users)

वर्तमान में भारत में तकरीबन **350 मिलियन** सोशल मीडिया उपयोग करता हैं और अनुमान के मुताबिक वर्ष **2023** तक यह संख्या लगभग **447 मिलियन** तक पहुंच सकती है। वर्ष **2019 में एक रिपोर्ट** जारी की गई। इसके अनुसार **भारतीय उपयोगकर्ता** औसतन **2.4** घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। **फिलीपींस** के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। वे औसतन **4 घंटे** सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। **जापान** में सबसे कम सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। वहां के उपयोगकर्ताओं औसतन **45** मिनट सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं।

(Currently there are around **350 million** social media users in **India** and by the year **2023** it is estimated that this number could reach about **447 million**. A report was released in the year **2019**. According to this Indian user spend an average of **2.4** hours on social media. Users of the

Philippines use social media the most. They use in average of **4 hours** of social media. The least social media is used in **Japan**. Users there use an average of **45** minutes of social media.)

(4) सोशल मीडिया का दुरुपयोग एवं इस पर नियंत्रण:-
(Misuse and Control of Social Media)

भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती सामने आई है। यह चुनौती सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करने की है। पिछले वर्ष **"भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर"** का अध्ययन किया गया। इसके अनुसार **89%** पर्यटक सोशल मीडिया के जरिए भारत के दर्शनीय स्थलों की जानकारियां प्राप्त करते हैं।

वर्ष **2018-19** में **फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम** समेत कई साइटों पर **3245** आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी। इनमें से **जून 2019** तक

2662 सामग्रियां हटा दी गई थीं। इनमें से ज्यादातर वे सामग्रियां थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी।

(A major challenge has been faced by policy makers in India. The challenge to control the misuse of social media. Last year, **'Indian Institute of Tourism and Travel Management Gwalior'** was studied. Accordingly **89%** of tourists via social media get information about sightseeing in India through social media. In the year **2018-19, 3245** objectionable material were reported on various sites including **Facebook, Twitter, Instagram.** Of these **2652** materials were removed by June, **2019**. Most of these were materials that violeted laws prohibiting the insult of religious sentiments and national symbols.)

(5) सोशल मीडिया पर कानून:-

(Law on Social Media)

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी **(आईटी) अधिनियम, 2008** के दायरे में आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं के आदेशों का पालन करना होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद है जो उचित एवं अनुचित सामग्रियों की पहचान कर अनुचित सामग्री को हटा देता है। फेक न्यूज़ को रोकने हेतु भारत में अभी तक कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। परंतु भारत में अनेक संस्थाएं इस विषय पर कार्य कर रही हैं:

(Social media platforms in India are already covered under the information technology IT Act 2008. Social media platforms have to follows order from courts or law-enforcement entities. Reporting Mechanisms also exist on social media platforms that identify appropriate and inappropriate material and remove inappropriate

content. No special law has been enacted in India to prevent fake news, but many institute in India are working on this subject.)

(A) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India)-

यह समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को पत्रकारिता के सिद्धांतों के उल्लंघन पर चेतावनी दे सकती है।

(It can warn newspapers, news agencies and their editors of violations of the principles of journalism.)

(B) न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन(News Broadcasters Association)-

निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स के प्रसारकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है।

(Investigates Complaints against broadcasters of private television news and current affairs.)

(C) ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (Broadcasting Content Complaint Council)-

यह टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की जांच करती है।

(It investigates objectionable TV content and fake news against TV broadcasters.)

वर्तमान समय में सोशल मीडिया का कोई भी उपयोगकर्ता चाहे वह आम नागरिक ही क्यों ना हो, वह इसके माध्यम से अपने विचार दुनिया के सामने रख सकता है और अपने विचार को दुनिया के हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। परंतु साथ ही साथ सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता महसूस हो रही है। निजता के

अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार- विमर्श कर नये विकल्प खोजे जाने चाहिए।

In the present time any user of social media even if he is an ordinary citizen can put his ideas in front of the world through it and can spread his ideas thousands of the people of the world. The right to freedom of expression has gained a new dimension through social media. But at the same time social media is also being misused. Hence the need for regulation of social media is felt. New options should be explored in consultation with all parties to prevent misuse of social media without violating the right to privacy.

RF competition
INFOSRF.COM
🇮🇳🇮🇳🇮🇳